

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-8/2018-19/302

दिनांक:-30-08-18

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति फतेहपुर (सीकर), करौली (करौली),
नैनवा (बुन्दी), अन्ता (बारा)

विषय:- चिकित्सामद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 111-सर्व शिक्षा अभियान, (01)-शिक्षा गारन्टी स्कीम (00)-(04) चिकित्सा व्यय (केन्द्रीय सहायता) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कर्मियों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

| क्र० सं० | ऑफिस आई.डी. | जि.शि.अ कार्यालय का नाम | 04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में। | विशेष विवरण |
|----------|-------------|-------------------------|--|--|
| 1. | 1600 | फतेहपुर(सीकर) | 105655 | श्री हरफूल सिंह व.अध्यापक राउप्रावि शेखीवास फतेहपुर सीकर स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु। |
| 2. | 1638 | करौली करौली) | 52971 | श्री धर्मन्द्र कुमार शर्मा शा.शि. राउप्रावि धनीराम संरपच का पुरा करौली (करौली) स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु। |
| 3. | 1650 | नैनवा (बुन्दी) | 80458 | श्री कंवरपाल मीणा प्र.अध्यापक. राउप्रावि धनीराम संरपच का पुरा करौली (करौली) स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु। |
| 4. | 1589 | अन्ता (बारा) | 71937 | श्री मोहनलाल मीणा अध्यापक, राउप्रावि गैरुपुरा अन्ता (बारा) की पत्नी श्रीमति रामकन्या बाई के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु। |
| योग | | | 311021 | |

(अखरे रूपय तीन लाख इग्यारे हजार इक्कीस मात्र)


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपर्युक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।


मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कर्मिक श्री/श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी